संख्या–769/71–2–17–4/2017

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक 10 मार्च, 2017

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीति–निर्धारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एम0ई0–3/2017/4535, दिनांक 17.02.2017, पत्र संख्या–एम0ई0–3/2017/4642, दिनांक 03.03.2017 एवं पत्र संख्या–एम0ई0–3/2017/4708, दिनांक 10.03.2017, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **National Eligibility cum Entrance Test (NEET)** P.G. 2017 की मेरिट सूची के आधार पर प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों/मेडिकल कालेजों की समस्त सीटों एवं निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कालेजों/निजी मेडिकल कालेजो/डेण्टल कालेजों तथा अल्पसंख्यक मेडिकल/डेण्टल कालेजों में शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नवत् नीति–निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) <u>मेरिट सूची, छात्रों का पंजीकरण तथा विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किया जाना</u> :–

नीट पी0जी0 2017 के माध्यम से चयनित छात्रों का ऑनलाईन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, शुल्क भुगतान आदि की कार्यवाही किए जाने हेतु तकनीकी संस्था के रूप में National Informatic Center (एन0आई0सी0) को नामित किया जाता है।

नीट पी0जी0 2017 का ब्रोशर तैयार किए जाने तथा पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को 10 से 30 प्रतिशत के मध्य नियमानुसार (वेटेज) प्रदान करते हुये स्टेट मेरिट सूची तैयार किए जाने हेतु किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को तकनीकी संस्थान के रूप में नामित किया जाता है।

(2) <u>(क) अर्हताएं **(Eligibility)**</u>

- अभ्यर्थी द्वारा नीट पी0जी0–2017 की परीक्षा में प्रतिभाग किया गया हो तथा नियमानुसार स्टेट कोटे की सीटों हेतु अर्ह घोषित किया गया हो।
- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया हो।

- ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में किसी विशिष्टता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उसी विशिष्टता की डिग्री पाठ्यक्रम हेतु अर्ह हैं।

(ख) **अनर्हताएं (Non Eligible)** :–

- ऐसे छात्र, जिन्होने नीट पी0जी0 2017 में प्रतिभाग नहीं किया हो।
- ऐसे छात्र, जिनकी इण्टर्नशिप 31 मार्च, 2017 तक पूर्ण न हुई हो।
- ऐसे छात्र, जो वर्तमान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों अथवा अनुत्तीर्ण हों, वे राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- ऐसे अध्ययनरत छात्र, जिन्होने नीट पी0जी0 2017 की अधिसूचना जारी होने की तिथि (दिनांक 26.9.2016) के पश्चात अपनी सीट से त्यागपत्र दिया हो।
- ऐसे छात्र, जिन्होने एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 फाइनल परीक्षा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ तथा बनारस हिन्दू विश्वविश्वविद्यालय, वाराणसी से एवं उ0प्र0 राज्य से बाहर के संस्थानों से उत्तीर्ण की हो, राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

(3) **काउंसिलिंग प्रकिया** :–

NEET, P.G. 2017 की मेरिट सूची के आधार पर राजकीय चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों/राजकीय मेडिकल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों डीम्ड विश्वविद्यालयों, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल/डेन्टल कालेजों, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेन्टल कालेजों एवं अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा संचालित मेडिकल/डेन्टल कालेजों की समस्त सीटों पर ऑन लाइन काउंसिलिंग राज्य सरकार द्वारा करायी जायेगी।

(4) **पंजीकरण/काउंसिलिंग शुल्क** :–

नीट पी0जी0 2017 में निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेन्टल कालेजों में काउंसिलिंग शुल्क रू0 1,000/– प्रतिछात्र प्रतिचक्र तथा धरोहर धनराशि रू0 1,00,000/– ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से जमा की जायेगी।

(5) **सिक्योरिटी मनी के सम्बन्ध में** :–

सिक्योरिटी मनी के रूप में रू 5000/– की धनराशि सम्बन्धित छात्र द्वारा आन–लाइन प्रकिया के माध्यम से जमा की जायेगी। जिन छात्रों द्वारा आवंटन के पश्चात् सम्बन्धित कालेजों में प्रवेश प्राप्त कर लिया जायेगा उनके द्वारा सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा धनराशि या तो वापस कर दी जायेगी या फीस में समायोजित कर लिया जायेगा और जिन छात्रों द्वारा आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्राप्त कर सीट से त्याग पत्र दे दिया जायेगा या छोड़ दी जायेगी उसके द्वारा जमा सिक्योरिटी मनी को जब्त कर लिया जायेगा।

(6) **आरक्षण व्यवस्था** :–

(क) प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/ स्वायत्तशासी संस्थानों में निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा:–

**वर्टिकल आरक्षण**

| | |
|---|---|
| अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी | 21 प्रतिशत |
| अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी | 02 प्रतिशत |
| अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी | 27 प्रतिशत |

**हॉरिजान्टल आरक्षण**

| | |
|---|---|
| दिव्यांग श्रेणी के छात्र | 03 प्रतिशत (पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन–2000 के अनुसार) |

- स्पेशल अपील संख्या–689 आफ 2015 सुरेन्द्र कुमार कांवत बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उत्तर प्रदेश में विस्थापित होकर आए छात्रों को नीट पी0जी0–2017 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
- काउंसिलिंग हेतु 04 मेरिट सूचियॉ तैयार की जायेंगी, जिसमें 03 आरक्षित श्रेणियों की (विकलांगजन उपश्रेणी को चिन्हित एवं सम्मिलित करते हुए) तथा 01 कम्बाइन्ड स्टेट मेरिट रैंक की (विकलांगजन उपश्रेणी को चिन्हित एवं सम्मिलित करते हुए) जिसमें नीट मेरिट में आये आरक्षित श्रेणियों के ऐसे अभ्यर्थी सम्मिलित होगें जिन्होंने आन लाइन रजिस्ट्रेशन कराया हों।

**(7) प्रदेश के निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज एवं डेण्टल कालेज में आरक्षण**

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में नीट पी0जी0 2017 की मेरिट सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। निजी क्षेत्र में किसी प्रकार का आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

**(8) निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश एवं डोमिसाइल के सम्बन्ध में**

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालजों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रदेश के मूल निवासियों के साथ–साथ अन्य राज्यों के निवासी भी अर्ह माने जायेंगे।

नीट पी0जी0–2017 की आनलाइन काउंसिलिंग में निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में आवंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति कालेज रू0 1.00 लाख जमा कराया जायेगा, ताकि काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति किया जाना सम्भव हो सके।

**(9) पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को weightage/आरक्षण का लाभः–**

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारक चिकित्सकों को मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं एम0सी0आई0 रेगुलेशन के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नीति निर्धारित कर जिन चिकित्साधिकारियों को नीट पी0जी0 2017

की स्नातकोत्तर सीटों (एम0डी0/एम0एस) की काउंसिलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा उन्हें नियमानुसार weightage (प्राथमिकता) प्रदान करते हुए स्टेट मेरिट सूची को यथा संशोधित कर काउंसिलिंग के माध्यम से प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों/निजी मेडिकल कालेजों में प्रवेश दिया जायेगा।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों में पी0जी0 डिप्लोमा कोर्स The post-graduate Regulation, 2000 के सुसंगत प्राविधानों एवं इस सम्बन्ध में चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या–4197/चि0–3–16–जी–179/2005, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) <u>काउंसिलिंग बोर्ड का गठनः–</u>

नीट पी0जी0 2017 की काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से कराये जाने हेतु काउंसिलिंग बोर्ड का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0– **अध्यक्ष**
2. शासन स्तर से नामित एक अधिकारी– सदस्य
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर– सदस्य
4. डा0 ए0के0सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग,किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ सदस्य
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा महानिदेशालय से नामित एक अधिकारी– सदस्य

(11) <u>पी0सी0पी0 एण्ड डी0टी0 एक्ट 1994 के अन्तर्गत सीटों का आवंटन–</u>

प्रदेश में गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव–पूर्व निदान–तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (छह मासिक प्रशिक्षण) नियम–2014 के अनुपालन में जारी अधिसूचना संख्या–527/71–2–2016–178/2015, दिनांक 23 फरवरी, 2016 में दिए गये निर्देशों के अनुपालन में छहः माह के प्रशिक्षण हेतु अधिसूचित 06 चिकित्सा संस्थानों में सीटें नीट पी0जी0 2017 की मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित करायी जायेगी।

(12) <u>अल्पसंख्यक संस्थाओं हेतु आरक्षण–</u>

धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों को उनके बायलॉज के अनुसार अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(13) <u>काउंसिलिंग हेतु समय सारणी :–</u>

रिट याचिका संख्या–76/2015 आशीष रंजन व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.01.2016 के अनुपालन में नीट पी0जी0 2017 की स्टेट कोटे की काउंसिलिंग निम्नलिखित शिड्यूल के अनुसार करायी जायेगीः–

| क0सं0 | विवरण | ऑल इण्डिया कोटा | स्टेट कोटा |
|---|---|---|---|
| 1 | प्रथम चक्र की काउंसिलिंग | 12 मार्च से 24 मार्च के मध्य | 04 अप्रैल से 15 अप्रैल के मध्य |
| 2 | प्रथम चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि | 03 अप्रैल तक | 22 अप्रैल तक |
| 3 | द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग | 23 से 30 अप्रैल के मध्य | 11 मई से 20 मई के मध्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि | 10 मई तक | 27 मई तक |
| 5 | शैक्षिक सत्र का प्रारम्भ | 01 मई | 01 मई |
| 6 | अपरिहार्य कारणों से रिक्त हुई सीटों को भरे जाने हेतु आवंटन | – | 31 मई तक |

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या– (1)/71–2–2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मेडिकल काउसिंल आफ इण्डिया/डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति/कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलपति, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0/डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
7. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज।
8. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 शासन।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

SO/Go 2016